न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 283/2019 (80/2018)
GCMS NO. : 2018/00017

–: वादीगण :–

1. गिरधारीलाल पुत्र मोतीलाल
2. नारायण पुत्र खंगार
3. हेमाराम पुत्र नेतीराम
4. भंवरलाल पुत्र लिखमाराम
5. मंगलाराम पुत्र गणेशराम
6. आसूराम पुत्र जोगाराम
7. हुक्माराम पुत्र नारायणराम
8. गैनाराम पुत्र प्रभूराम
9. पुखराज पुत्र नन्दाराम
10. चम्पा पत्नि पूनाराम
11. कन्हैयालाल पुत्र लालूराम
12. राजकीदेवी पत्नि पाबूराम
13. मलाराम पुत्र पूनाराम
14. अबाराम पुत्र रईगराम
15. जीयाराम पुत्र रईगराम
16. बगाराम पुत्र जसाराम
17. ओगड़राम पुत्र रामाराम
18. नाथूराम पुत्र ढगलाराम
19. कालूराम पुत्र भीकाराम
20. पन्नाराम पुत्र पेमाराम

जातियान सिरवी निवासीगण चावण्डिया तहसील जैतारण।

बनाम

–: प्रतिवादीगण :–

1. गुमानसिंह पुत्र जबरसिंह
2. नाराणसिंह पुत्र जबरसिंह
3. नवरतनसिंह पुत्र माधोसिंह
4. विजयसिंह पुत्र माधोसिंह
   जातियान राजपूत, निवासीगण चावण्डिया तहसील जैतारण।
5. तहसीलदार एवं उप पंजीयन अधिकारी जैतारण जिला पाली।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी.

तारीख रजू 25/09/2019

उपस्थितः– 1. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री करणीदान चारण, अधिवक्ता, प्रतिवादी।

–:: निर्णय ::– दिनांकः– [illegible]1/08/2021

वकील प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. विरूद्ध अप्रार्थीगण/वादीगण इस आशय से बिन्दुवार प्रस्तुत किया कि वादीगण के द्वारा प्रतिवादीगण के खातेदारी रास्ता किस्म गैर मुमकिन रास्ता के बारे में मुख्य अनुतोष चाहा गया है कि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के खातेदारी के रास्ते को सार्वजनिक रास्ता घोषित करने राजस्व अभिलेख में

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.11 16:42:39 IST
Reason: SelfAttested

सार्वजनिक रास्ता अंकन किये जाने का अनुतोष मांगा गया है एवं अनुषांगिक अनुतोष के रूप में स्थाई निषेधाज्ञा का भी अनुतोष मांगा गया है। वादीगण के दावे के सम्पूर्ण अभिवचनो के आधार पर प्रतिवादीगण के खातेदारी के रास्ते की भूमि में सडक बना देने से सार्वजनिक रास्ते की घोषणा का अनुतोष चाहा गया है तथा वादग्रस्त रास्ते से हमेशा से अपने गांव से कुओं पर आना जाना बताया गया है जिससे प्रतिवादीगण के कोई खातेदारी अधिकार शेष बचे नही रहना बताया गया। वादीगण ने वादग्रस्त भूमि से अपने कुए पर बने मकानों में भी आने-जाने के लिए राजस्व रिकार्ड में रास्ता कदीमी से वादग्रस्त रास्ते का होना बताया गया व कुछ **समय** पूर्व वादग्रस्त रास्ते पर डामरीकरण कराया जाने से वादग्रस्त भूमि डामरीकृत सडक के रूप में उपयोग लिया जाने के कथन अभिकथित किये गये तथा अनुतोष में वादग्रस्त भूमि को सार्वजनिक रास्ता निरन्तर घोषित किया जाने, व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का खातेदारी हक से नाम विलोपित किये जाने कि प्रार्थना की गई व स्थाई निषेधाज्ञा भी चाही गई। वादीगण के सम्पूर्ण वादपत्र में वर्णित अभिवचन से अप्रत्यक्ष रूप से यह प्रकट होता है कि वादीगण को वादग्रस्त भूमि पर सुखाधिकारो के अधिकार उत्पन्न होने के आधारों पर रास्ते बाबत् घोषणात्मक अनुतोष चाहा गया है जो विशिष्ट रूप से अभिवचनों में अभिकथित नहीं किया गया यदि तर्क के रूप में सुखाधिकारों के आधार पर वादीगण के द्वारा अनुतोष चाहा गया तो उस स्थिति में सिविल न्यायालय को इस प्रकार का अनुतोष प्रदान करने का क्षेत्राधिकार होता है। राजस्व न्यायालय को इस प्रकार का अनुतोष प्रदान करने के लिए कोई श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार निहित नही होता है। साथ ही सुखाधिकारो की घोषणा में खातेदारी हक समाप्त नही होते है केवल मात्र सुखाधिकार तय होते है। विधि में वादग्रस्त भूमि को सार्वजनिक रासते के रूप में अंकन कराने बाबत् कोई प्रावधान नही है। वादीगण के वाद में न तो विधि के अभिव्यक्त प्रावधान विवादित प्रावधानों के बारे में कोई अभिवचन किये है केवल मात्र वेग, अस्पष्ट, सारहीन, अभिवचनों के आधार पर वादीगण किसी प्रकार के अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है अर्थात वादीगण के अभिवचनों के आधार पर वादीगण राजस्व न्यायालय से कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है। यदि तर्क में रूप में प्रतिफल कब्जे के सिद्धान्त के आधार पर कोई अनुतोष प्राप्त किया जाता है वह भी वादीगण के अभिवचन नही है एवं प्रतिकूल कब्जे के आधार पर ऐसा अनुतोष प्राप्त नही किया जा सकता है। वादीगण के अभिवचनों के अनुसार वादीगण प्रतिवादीगा संख्या 1,2 के [illegible] भूमि को उपयोग किया जाना प्रकट होता है जिससे प्रतिकूल कब्जे के [illegible] कोई बल नही मिलता है ऐसी स्थिति में वादीगण के [illegible] वाद हेतुक [illegible] नही होता है जिससे वादीगण का वाद इसी स्तर निरस्त [illegible] के वादपत्र के सम्पूर्ण अभिवचनो में सार्वजनिक रास्ते की घोषणा बाबत् अनुतोष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में किसी अभिव्यक्त निरन्तर कब्जे या विवक्षित विधिक प्रावधानो के तहत कोई अनुतोष प्रदान नही किया जा सकता है। राजस्थान काश्कारी अधिनियम की धारा 251(क) में ही केवल मात्र उपखण्ड अधिकारी को

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.11 16:42:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

क्षेत्राधिकार प्राप्त है लेकिन वादीगण के वादपत्र में धारा 251(क) के संदर्भ में कोई अभिवचन नही किये गये है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में उक्त धारा के अलावा रास्ते के संदर्भ में न्यायालय आप को कोई श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार अभिप्रेत नही है। जिससे भी वादीगण का वाद विधि द्वारा वर्जित होने से निरस्त होने योग्य है। अतः प्रार्थना है कि वादीगण का वाद, वाद हेतुक प्रकट नही होने से न्यायालय आपको श्रवणाधिकार, क्षेत्राधिकार नही होने, विधि द्वारा वर्जित होने से निरस्त फरमाया जावे।

वकील अप्रार्थीगण/वादीगण द्वारा जवाब पेश किया गया, जो सा.मि. है। अप्रार्थीगण/वादीगण द्वारा अपने जवाब प्रा.पत्र में कथन किया है कि प्रार्थनापत्र के पद संख्या एक का जबाब है कि प्रतिवादीगण के नाम जो खसरा नम्बर 157 व 158 इन्द्राज है उसके सम्बन्ध मे नाम हटाने की घोषणा का वादपत्र वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या दो का जबाब है कि वादीगण द्वारा जो गलत नाम प्रतिवादीगण का इन्द्राज हो गया उसे हटाकर खसरा नम्बर 157 व 158 को सावर्जनिक रास्ता राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज किये जाने की प्रार्थना की है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या तीन का जबाब है कि इस पद मे वर्णित तथ्य सही है कि वादीगण की जो इस्तदुआ है वह वादग्रस्त खसरा नम्बर मे प्रतिवादीगण का नाम हटाने की है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या चार का जबाब है कि वादपत्र मे दर्ज अभिकथनो से यह स्पष्ट होता है कि उक्त वादपत्र राजस्व न्यायालय मे विचारणीय की क्षेत्राधिकारिकता रखता तथा न कि सिविल न्यायालय की। क्योकि वादीगण ने सुखाचार अधिकार नही चाहा है। बल्कि प्रतिवादीगण का जो गलत नाम रास्ते की भूमि मे इन्द्राज हो गया उसे जरिये घोषणात्मक हटाने की इस्तदुआ चाही है और ऐसी इस्तदुआ मात्र राजस्व न्यायालय मे वादपत्र कर प्राप्त की जा सकती है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या पांच का जबाब है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र सही अभिवचनो पर आधारित है कोई तथ्य नही छुपाये गये है और कानून के अनुसार वादपत्र प्रस्तुत किया है जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या छह का जबाब है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र मे लिखित अभिवचनो से स्पष्ट हो जाता है कि वादीगण ने जो अनुतोष चाहा है वह राजस्व न्यायालय से ही प्राप्त किया जा सकता है क्योकि यदि किसी व्यक्ति का किसी आराजी में गलत नाम इन्द्राज हो जाता है तो उस आराजी से नाम हटाने या जोडने या दुरूस्ती करने का आदि का वादपत्र सुनवाई का एक मात्र क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को ही है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या सात का जबाब है कि वादपत्र को सम्पूर्ण पढने से यह स्पष्ट हो जाता है कि वादीगण ने जो वादपत्र पेश किया उसमे स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण का रास्ते की जमीन मे नाम अंकित है जो गलत है क्योकि खसरा नम्बर 157, 158 मौके पर रास्ते के रूप मे उपयोग आ रहे है इसलिए गलत नाम इन्द्राज हो जाने की वजह से प्रतिवादीगण वादीगण को रास्ते की भूमि के उपयोग उपभोग बाबत् बाधा अडचन पैदा करते है इसलिए वादीगण का वादपत्र तथाकथित गलत नाम इन्द्राज हो दुरूस्त करवाने का है इसलिए इस वादपत्र की सुनवाई की क्षेत्राधिकार केवल मात्र राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.11 16:42:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

न्यायालय को है। अतः जबाब प्रार्थनापत्र पेश कर श्रीमान् से निवेदन है कि प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र सारहीन है क्योकि उक्त वादपत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकारिता राजस्व न्यायालय को होने से प्रतिवादीगण का प्रार्थनापत्र खारिज फरमावे।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से अपने पक्ष में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये–

1. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (शेखावत लॉ हाउस जोधपुर, 2012 एडिशन) पेज–145 (धारा 251 एवं 251ए), तृतीय अनुसूची पेज–180
2. 2009(3) वोल्यूम 57 C.C.C. पेज–720
3. 2015(1) वोल्यूम 80 C.C.C. पेज–351
4. 2000(1) वोल्यूम 25 C.C.C. पेज–225
5. 2017(1) D.N.J. पेज–1
6. 2015(1) रिविजन D.N.J. पेज–221
7. भारतीय सुखाचार अधिनियम, 1822 द्विभाषी संस्करण (कानून प्रकाशक, 2009 एडिशन)

हमनें विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया एवं अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अवलोकन किया तथा हस्तगत प्रकरण के सम्यक् न्याय निर्णयन में मार्गदर्शन प्राप्त किया। हमनें प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. पत्रावली मय वाद–पत्र एवं संगत विधिके प्रावधानों यथा धारा 207 रा.का.अधि., तृतीय अनुसूची, रा.का.अधि., 1955 का अध्ययन किया। वाद–पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी द्वारा वादग्रस्त आराजी किस्म गै.मु. रास्ता को सार्वजनिक रास्ता घोषित करवाने हेतु वाद धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पेश किया है। प्रथम तो रास्ते के किसी भी प्रकार के विवाद के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में केवल 2 ही धाराओं में प्रावधान दिये गये है यथा 251 एवं 251'क'। उक्त दोनों धाराओं के अधीन कार्यवाही न्यायालय हाजा के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में नहीं है। प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने यह कथन किया है कि वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर सुखाधिकारों के अधिकार उत्पन्न होने के आधारों पर रास्ते बाबत् घोषणात्मक अनुतोष चाहा गया है एवं न्यायालय हाजा को इस प्रकार के अनुतोष प्रदान करने के लिए श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार विहित नहीं होता है। वादीगण/अप्रार्थीगण ने अपने वाद–पत्र व जवाब प्रा.प. में यह कथन किया है कि प्रतिवादीगण वादीगण को रास्ते की भूमि के उपयोग/उपभोग बाबत् बाधा/अड़चन पैदा करते है। अतः वादीगण/अप्रार्थी एवं प्रार्थी/प्रतिवादीगण के कथनों से यह स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा रास्ते की भूमि के उपयोग/उपभोग में बाधा/अडचन होने पर अपने सुखाधिकारों के अधिकार के संरक्षण हेतु वादग्रस्त आराजी को सार्वजनिक रास्ता घोषित करवाने बाबत् अनुतोष चाहा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 207 एवं अनुसूची–तृतीय में धारा 88 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seehvel
Date: 2021.10.11 16:42:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

अन्तर्गत केवल खातेदारी .अधिकारों की ही घोषणा की जा सकती है, न कि सार्वजनिक रास्ते की। अतः उक्त अनुतोष न्यायालय हाजा के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में नहीं है। वादीगण/अप्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में यह कथन किया है कि उक्त अनुतोष राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है परन्तु उक्त कथन के समर्थन में वादीगण/अप्रार्थीगण द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के किन विधिक प्रावधानों के तहत है इसका उल्लेख नहीं किया गया है व इससे सम्बन्धित न ही कोई न्यायिक नजीरें ही प्रस्तुत की है जिससे की अप्रार्थी/वादीगण के कथन साबित होते हो। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण न्यायालय हाजा के श्रवणधिकार व क्षेत्राधिकार से परे होने के कारण वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 207, अनुसूची– तृतीय से बाधित है। वादीगण संबंधित सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अनुतोष प्राप्त करने के लिए इस्तदुआ करने के लिए स्वतन्त्र है, अतः हम प्रार्थी/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए वाद पत्र को इसी स्तर पर खारिज करना विधि सम्मत समझते है।

–:: आदेश::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में यह स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी/प्रतिवादीगण अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. भली–भांति साबित होने से स्वीकार किया जाता है। वाद–पत्र वादीगण न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार से परे होनें एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 207, अनुसूची–तृतीय से बाधित होने से नामंजूर किया जाता है। डिक्री पृथक से बनाई जाकर सा0मि0 हो। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फारेस्ट ट्रेक) • जैतारण (पाली) राज0

सहायक कलक्टर
(फारेस्ट ट्रेक), जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनांक 31/08/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फारेस्ट ट्रेक) जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.11 16:42:39 IST
Reason: SelfAttested

प्राथमिक डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) अधिकारी, जैतारण
बईजलास :- श्रीमति मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0

-: वादीगण :- **बनाम** **-: प्रतिवादीगण :-**

1. गिरधारीलाल पुत्र मोतीलाल
2. नारायण पुत्र खंगार
3. हेमाराम पुत्र नेतीराम
4. भंवरलाल पुत्र लिखमाराम
5. मंगलाराम पुत्र गणेशराम
6. आसूराम पुत्र जोगाराम
7. हुक्माराम पुत्र नारायणराम
8. गैनाराम पुत्र प्रभूराम
9. पुखराज पुत्र नन्दाराम
10. चम्पा पत्नि पूनाराम
11. कन्हैयालाल पुत्र लालूराम
12. राजकीदेवी पत्नि पाबूराम
13. मलाराम पुत्र पूनाराम
14. अबाराम पुत्र रईगराम
15. जीयाराम पुत्र रईगराम
16. बगाराम पुत्र जसाराम
17. ओगड़राम पुत्र रामाराम
18. नाथूराम पुत्र ढगलाराम
19. कालूराम पुत्र भीकाराम
20. पन्नाराम पुत्र पेमाराम

जातियान सिरवी निवासीगण चावण्डिया तहसील जैतारण।

बनाम

1. गुमानसिंह पुत्र जबरसिंह
2. नाराणसिंह पुत्र जबरसिंह
3. नवरतनसिंह पुत्र माधोसिंह
4. विजयसिंह पुत्र माधोसिंह

जातियान राजपूत, निवासीगण चावण्डिया तहसील जैतारण।

5. तहसीलदार एवं उप पंजीयन अधिकारी जैतारण जिला पाली।

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0: 283/2019 (80/2018)

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....-........ व हाजरी श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्धई व श्री करणीदान चारण, प्रतिवादी मिनजानिब मुद्धायलगण [illegible] जाता है कि वादग्रस्त आराजी को सार्वजनिक रास्ता घोषित करवाने [illegible] तोष चाहा है। अतः वाद-पत्र वादी न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणा[illegible]र से परे होनें एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की [illegible] से बाधित होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी/प्रतिवादीगण अंतर्गत आदेश-[illegible], नियम-11 सी.पी.सी. बखूबी साबित होनें से स्वीकार किया जाकर वाद वादीगण खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर, संख्या से कम होते हुए दाखिल दफ़्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.11 16:42:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 31/08/2021 को जारी किया गया ।

मोहर

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज०

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–पाली (राज0)

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली)

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्दायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	– 2.00	स्टाम्प वकालतनामा	– 3.00
स्टाम्प वकालतनामा	– 2.00	स्टाम्प अर्जी	– 2.00
स्टाम्प वजह सबूत	– 0.00	महनताना वकील	– 0
महनताना वकील	– 0.00	खर्चा गवाहान	– 0
खर्चा गवाहान	– 3.00	फीस कमीश्नर	– 0
फीस कमीश्नर	– 0	बाबत ईजराय हुक्मनामा	–0
बाबत ईजराय हुक्मनामा	– 0	मुत्फरिक	– 0
मिजान:–	7.00	मिजान:–	5.00

नोट:– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.11 16:42:39 IST
Reason: SelfAttested